राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः एफ.3(क)/एस्टे/पीडी/डीएलबी/14/4169 दिनांक :– 12.04.2016

अधिसूचना

मंत्रीमण्डल आज्ञा क्रमांक 160/2014 दिनांक 12.12.2014 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान आवास विकास एवं आधारभूत लिमिटेड (Rajasthan Awas Vikas and Infrastructure Limited) (RAVIL) व राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना Rajasthan Urban Infrastructure Development Project (RUIDP) का राजस्थान नगरीय आधारभूत वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (रूफडिको) (Rajasthan Urban Infrastructure Finance & Development Corporation Limited) (RUIFDCO) में विलय कर पुनर्गठित निगम राजस्थान नगरीय पेयजल सिवरेज एवं आधारभूत निगम Rajasthan Urban Drinking Water, Sewerage and Infrastructure Corporation (RUDSICO) द्वारा राज्य में शहरी पेयजल, सिवरेज तथा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जावे।

इस क्रम में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (MCA) के द्वारा कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 391(2) एवं 394 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 24/02/2015–CL–III दिनांक 29.01.2016 द्वारा RUIFDCO (वर्तमान नाम RUDSICO) में RAVIL के विलय को स्वीकृति दे दी गई है। इस आदेशानुसार RAVIL का RUIFDCO (वर्तमान नाम RUDSICO) में विलय से सभी सम्बन्धित अंशधारियों व ऋणदातों के लिए दिनांक 01 अप्रैल 2015 से प्रभावी मान्य होगा। विलय की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात आज दिनांक से कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मंत्रीमण्डल आज्ञा क्रमांक 150/2011 दिनांक 29.11.2011 के द्वारा गठित निगम RAVIL का अस्तित्व समाप्त हुआ माना जायेगा।

(डॉ. मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव
O/C

क्रमांकः एफ.3(क)/एस्टे/पीडी/डीएलबी/14/4170-670 दिनांक :– 12.04.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव समस्त राजस्थान।
5. समस्त विभागाध्यक्ष समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं राजस्थान।
9. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग।
10. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को आगामी असाधरण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियॉं उपलब्ध कराये जाने हेतु।

(संचिता बिश्नोई)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव
O/C